

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - शङ्करपुर

तहसील - सल्लू

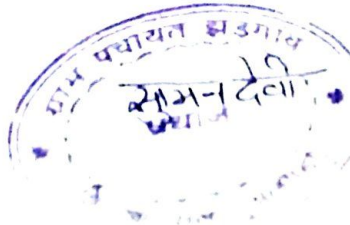
जिला - उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तराखण्ड के विकास खण्ड सल्लू में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from Shankarpur - Marchulla - Muhan (Total Length 19.3 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.572 हे० वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत शङ्करपुर द्वारा दिनांक 16/4/17 को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम शङ्करपुर के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.572 हे० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) के पक्ष में कार्य करने की अनुमति दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



राजान देवा

परियोजना का नाम:-जनपद Mmoy के विकास खण्ड sul + में

RoW permission for laying Optical Fiber Cable from
Shankarpur - Marchulla - Muhan (Total Length/13 Km)
तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु
अपेक्षित भूमि 0.57 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम,
1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks
Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab)
को वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/ के
परिवारों/जनसंख्या एवं पर्यटकों को लाभ प्राप्त होगा।

ग्राम हुआँव

परिवार
26

जनसंख्या

135



सदस्य
क्षेत्र पंचायत जमरिया
विकास खण्ड सल्ट (अल्मोड़ा)